294

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–25 / 2022 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01 / 06 / 2023

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ – 492015।

विषयः– Diversion of Forest land for Non-forest Purpose under Forest Conservation Act-1980 proposed For 220/132/33 KV Sub-station at Dharamjaigarh village Hati, Area 6.823 ha -Reg.

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर का पत्र क्र.FC-II/IROCH-17/2023/1251,दिनांक 08.02.2023।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र. / भू–प्रबंध / विद्युत / 479–188 / 1097, दिनांक 08.05.2023 तथा पत्र क्र. / भू–प्रबंध / विद्युत / 479–188 / 1142, दिनांक 11.05.2023।

---00---

विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 दिनांक 08.02.2023 के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

2/– उक्त वांछित जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 2 दिनांक 08.05.2023 एवं पत्र दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से प्रेषित की गई है, जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

Rajput
1.6.23
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक / एफ 5–25 / 2022 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01 / 06 / 2023

प्रतिलिपि :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

Rajput
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Lalit

256

पंजी क्रमांक ......889........
15/05/2023

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्रमांक/भू–प्रबंध/विद्युत/479–188/ 1097 रायपुर, दिनांक 08/05/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः – **Diversion of Forest land for Non-Forest Purpose under Forest Conservation Act - 1980 proposed For 220 / 132/ 33 KV Sub - Station at Dharamjaigarh village Hati, Area 6.823 Ha.**

– पंजीयन क्रमांक– FP/CG/Sub Station/ 145951/2021

संदर्भः
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र कमांक FC-II/ROCH-17/2023/ 1251 दिनांक 08.02.2023
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/तक./1004 दिनांक 29.03.2023

–0–

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र–1 के माध्यम से 04 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गयी है।

उपरोक्त के अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार प्रतिवेदन निम्नानुसार है:–

क्र.	वांछित जानकारी	पालन प्रतिवेदन
1	User Agency has not been submitted DGPS map of land proposed for CA.	जानकारी परिवेश पोर्टल में अपलोड किया गया है। हार्डकापी संलग्न है। **संलग्नक–1**
2	User Agency has not been submitted calculation sheet of the amount of the NPV under the Forest Conservation Act 1980.	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा अनुमोदित शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि रू. 83,82,670/– का गणना पत्रक संलग्न किया गया है। **संलग्नक–2**
3	Proposed CA Site OA Bhundi, Bahri Khasra no. 124/2/K/1 Area 8.00 Ha indicates that considerable tree density is observed in the KML of CA land. Justification in this regard needs to be submitted by the concerned DFO.	प्रतिवेदन अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नारंगी वन खण्ड Bhundi, Bahri Khasra no. 124/2/K/1 Area 8.00 Ha क्षेत्र का KML/ DGPS वर्षाकाल के उपरांत होने के कारण क्षेत्र घना प्रतीत हो रहा है किन्तु वास्तव में क्षेत्र रोपण हेतु उपयुक्त है। **संलग्नक–3**

11 MAY 2023

कार्या. प्रमुख सचिव वन एवं जल परि. विभाग
क्रमांक / 1628
दिनांक / 10-5-23

257

4	DFO concerned has mentioned that the proposed area comes under proposed Wildlife Corridor (CAMPA) and the distance from proposed area to Lemru Elephant reserve is 16 km. In this regard comment of Chief Wildlife warden Govt. of Chhattisgarh needs to be submitted by the state government.	प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र से लेमरू हाथी रिजर्व की एरियल दूरी 16 कि.मी है। उक्त प्रस्तावित योजना आवासीय क्षेत्र से 300 मीटर की दूरी तथा धरमजयगढ़ खरसिया मुख्य मार्ग से लगा हुआ है। 24 X 7 घंटे सुगम आवागमन होता रहता है। साथ ही प्रस्तावित स्थल के सामने बाजार / हटरी होने के कारण वन्य प्राणियों का आवागमन नहीं होता है। अतः वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की प्रत्यक्ष क्षति नहीं होती है। चूँकि सामान्य वन मंडलो के कार्य क्षेत्र के वन क्षेत्र एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा का दायित्व संबंधित वन मंडल अधिकारी का होता है। अतः उक्त के संबंध में वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ का प्रतिवेदन मान्य योग्य है। कार्यालयीन पत्र दिनांक 15.02.203 एवं 15.04. 2023 द्वारा अभिमत हेतु वन्य प्राणी प्रभाग से अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त से प्राप्त प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– संदर्भित पत्र–2 मय संलग्नक

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/ विद्युत/ 479–188/ 1098 रायपुर, दिनांक 08/05/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **वन महानिरीक्षक,** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।
2. **मुख्य वन संरक्षक,** बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3. **वनमण्डलाधिकारी,** धरमजयगढ़ वन मण्डल, धरमजयगढ़ छत्तीसगढ़।
4. **कार्यपालन अभियंता (सिविल),** संभाग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. रायगढ़, छ.ग.।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई–मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्रमांक/भू–प्रबंध/विद्युत/479–188/ 1142 रायपुर, दिनांक 11/05/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः – **Diversion of Forest land for Non-Forest Purpose under Forest Conservation Act - 1980 proposed For 220 / 132/ 33 KV Sub - Station at Dharamjaigarh village Hati, Area 6.823 Ha.**

– पंजीयन क्रमांक– FP/CG/Sub Station/ 145951/2021

संदर्भः – कार्यालयीन पत्र कमांक/ भू–प्रबंध/विद्युत/479–188/1097 दिनांक 08.05.2023

–0–

विषयांकित संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा चाही गयी 04 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी प्रेषित की गयी है।

उक्त जानकारी के बिन्दु क्रमांक 4 के अनुक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) के पत्र कमांक/व. प्रा./प्रबंध–614/2170 दिनांक 09.05.2023 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वन्य प्राणी प्रभाग का अभिमत प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार अभिमत निम्नानुसार है :–

"धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत हाटी ग्राम में प्रस्तावित सब–स्टेशन रकबा 6.823 हे. के वन भूमि व्यपवर्तन के संबंध में लेख है कि प्रस्तावित क्षेत्र से 300 मीटर की दूरी पर आवासीय क्षेत्र स्थित है तथा खरसिया मुख्य मार्ग से लगा हुआ है एवं प्रस्तावित स्थल के सामने बाजार / हटरी होने के कारण हमेशा शोरगुल / चहल पहल होता है जिसके कारण उक्त क्षेत्र में वन्य प्राणियों का आवागमन भी नहीं है" पर सहमति दी गई है' एवं निम्न शर्त समाहित की गयी है।

1. कक्ष कमांक 551 हाथी प्रभावित क्षेत्र है। अतः आसपास के गांवों में तत्संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता होगी।
2. सब–स्टेशन से डिस्ट्रिब्यूशन लाईन 7 मीटर तक होनी चाहिए (22 से 23 फीट)
3. सब–स्टेशन से डिस्ट्रिब्यूशन लाईनों के तार इन्स्युलेटेड केबल होना चाहिए ताकि ग्रामीण किसानों द्वारा हुकिंग न किया जा सके, जिससे हाथी मृत्यु की संभावना को रोका जा सके।
4. सब–स्टेशन की बाउण्ड्रीवाल हाथी रोधी होना आवश्यक है।

कृपया प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/ विद्युत/ 479–188/ 1143 रायपुर, दिनांक 11/05/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **वन महानिरीक्षक,** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।
2. **मुख्य वन संरक्षक,** बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3. **वनमण्डलाधिकारी,** धरमजयगढ़ वन मण्डल, धरमजयगढ़ छत्तीसगढ़।
4. **कार्यपालन अभियंता (सिविल),** संभाग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. रायगढ़, छ.ग.।

अ.प्र.मु.व.स (भू– प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

जावक क्रमांक 952 दिनांक 17/05/23
उप सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्या. प्रमुख सचिव वन एवं जल परि. विभाग
क्रमांक / 1700
दिनांक / 15-5-23

16 MAY 2023

292

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण)
एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

नार्थ ब्लाक, सेक्टर 19, अरण्य भवन, अटल नगर, जिला—रायपुर
ईमेल – cwlwcg@gmail.com Ph. 0771-2512880

क्रमांक / व.प्रा. / प्रबंध–615 / 2170 रायपुर दिनांक 09 / 05 / 2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
भू–प्रबंध
अरण्य भवन, नवा रायपुर

विषय :– **Diversion of Forest land for Non-Forest Purpose under Forest Conservaton Act-1980 proposed For 220/132/33 KV Sub- Station at Dharamjaigarh village hati, Area 6.823 Ha.**

संदर्भ :– **आपका पत्र कमांक / भू–प्रबंध / विद्युत / 479–188 / 906 दिनांक 13.04.2023**

—oo—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में उल्लेखित बिन्दु 4 के संबंध में लेख है कि धरमजयगढ़ वनमण्डल अंतर्गत हाटी ग्राम में प्रस्तावित सब–स्टेशन रकबा 6.823 हे. के भूमि व्यपवर्तन के संबंध में लेख है कि प्रस्तावित क्षेत्र से 300 मी. की दूरी पर आवासीय क्षेत्र स्थित है तथा धरमजयगढ़–खरसिया मुख्य मार्ग से लगा हुआ है एवं प्रस्तावित स्थल के सामने बाजार / हटरी होने के कारण उक्त स्थल पर हमेशा शोर–गुल / चहल–पहल होता है जिसके के कारण उक्त क्षेत्र में वन्यप्राणी का आवागमन भी नहीं है।

अतः वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त की अनुशंसा एवं मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) बिलासपुर से सहमत होते हुये उक्त क्षेत्र में सब–स्टेशन निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों को समाहित करते हुये सहमति दी जाती है :–

1. कक्ष क्रमांक 551 हाथी प्रभावित क्षेत्र है। आस–पास के ग्रमों में तत्संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता होगी।
2. सबस्टेशन से डिस्ट्रिब्यूशन लाईने 7 मीटर तक होनी चाहिए (22 से 23 फीट)।
3. सबस्टेशन से डिस्ट्रिब्यूशन लाईनों के तार इन्स्युलेटेड केबल होना चाहिए ताकि ग्रामीण किसानों द्वारा हुकिंग न किया जा सके, जिससे हाथी मृत्यु की संभावना को रोका जा सके।
4. सबस्टेशन की बाउण्ड्रीवाल हाथी रोधी होना आवश्यक है।

9/5

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर